

212 RTI प्रस. 135/18
मोहर सिंह vs जगदीश शर्मा

28.5.19

वकील वाडी/सायल उपाय/वाडी
स्वयं उपोचित/वाडी का निवेदन
पर तथा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर
पत्रवली आज तारीख पेशी के
ली गई/वाडी के निवेदन किया कि
हमारा आपस में राजी नामा हो गया
है तथा उपरोक्त अनवानी प्रकरणा
हम चलाना नहीं चाहते हैं/अतः
प्रपत्र सायल स्वारेज प्ररमाया जावे
वाडी का निवेदन पर प्रपत्र 212
RTI स्वारेज किया जाता है/सायल
की पहिचान श्री नरेन्द्र किशोर
श्रीशी एडवोकेट है/पत्रवली
नम्बर से कम होकर उपरत दारवित
है/निर्णय मुझे न्यायालय में सुनाया
गया

(वकिल)
अपखण्डाधिकारी (राजस्व)
मोहर

मोहर सिंह
28.5.19